

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क/बी-6/नियमन/एमपी ऑनलाइन/628

भोपाल, दिनांक 14/09/2020

प्रति,

सचिव

कृषि मण्डी समिति.....(समस्त)

विषय:-MP Online Portal पर रद्द किए गए अनुज्ञप्ति आवेदनो के संबंध मे।

उपरोक्त विषय के संबंध मे अवगत होवे कि उपविधि संशोधन आदेश दिनांक 18.09.2019 के अनुसार, अनुज्ञप्ति आवेदन रद्द किये जाने की स्थिति में केवल अनुज्ञप्ति फीस (आवेदन फीस को छोड़कर) संबंधित आवेदक को मंडी के द्वारा ही वापस भुगतान किया जावेगा।

इस संबंध मे कतिपय मंडियों के द्वारा आवेदको को फीस वापस भुगतान नही करने एवं MP Online Portal से प्राप्त करने हेतु कहा जाना ज्ञात हुआ है। जो कि सर्वथा अनुचित है।

रद्द आवेदनो के संबंध मे मंडी स्वयं, संबंधित को अनुज्ञप्ति फीस वापस करने की कार्यवाही करे।

अपर संचालक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

क/बी-6/नियमन/एमपी ऑनलाइन/633

भोपाल, दिनांक 14/09/2020

प्रतिलिपि :-

1/ अपर संचालक (वित्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। कृपया उपरोक्त के संबंध मे लेखांकन मे यदि कोई निर्देश अपेक्षित हो तो मंडियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे।

2/ संयुक्त/उप संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, समस्त। उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

अपर संचालक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल